Centre for e-Governance U.P.

Ist Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow- 226 010

सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (उत्तर प्रदेश सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर लखनऊ-226010

फोन/फैक्स : 0522-2304708 ई-मेल: ceglko.up@gmail.com

Ref. CeG/08/14/v/32/2021 Date 18-05-2021

सेवा में,

1—मै0 श्रेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स लि0।
2—मै0 वयम टेक्नोलॉजीज लि0।
3—मै0 सी.एस.सी. ई—गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि0।
4—मै0 सी.एस.सी. वाई—फाई चौपाल।
5—मै0 इण्डिया पावर कारपोरेशन लि0।
6—मै0 बी.एल.एस. इंटरनेशनल सर्विसेज लि0।
7—मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0।
8—मै0 सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एण्ड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।
9—मै0 के0 एण्ड डी0 इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट (इण्डिया) प्रा0लि0।
10—मै0 नेक्टॉन इण्डिया प्रा0 लि0।
11—मै0 आई—नेट सिक्योर लैब।
12—मै0 आई.टी.आई. लि0।
13—मै0 एस.एन.आर. ई—डाटा प्रा0लि0।

विषयः—गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—862/2021—सीएक्स—3, दिनांक 16.05.2021 के अनुपालन हेतु।

सम्मानित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाईडर्स,

कृपया इस पत्र के साथ गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—862/2021—सीएक्स—3, दिनांक 16.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पी0आई0एल0 (सिविल) संख्या—574/2020 In-Re Inhuman Conditions At Quarantine Centres And For Providing Better Treatment to Corona Positive Vs. State of U.P. में ग्रामीण क्षेत्र में जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों, श्रमिकों व ग्रामीण व्यक्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु जन सेवा केन्द्रों (CSC) का प्रयोग किया जाए एवं इसका जनपद स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2— ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में पूरा देश एवं प्रदेश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। इलाज के साथ—साथ इस वायरस के प्रसार के चक्र को तोड़ने के लिये युद्ध स्तर पर

उ0प्र0 में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण हेतु नागरिकों का CoWIN पोर्टल (www.cowin.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सी.एस.सी. 3.0 परियोजना के समस्त जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से यह कार्य नागरिकों की सुविधा हेतु **निःशुल्क** कराने का निर्णय लिया है।

3– इस मानवीय आपदा के काल में आप समस्त DSPs/VLEs का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। आपसे इस आशय हेतु सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स (सी.ई.जी.) से दूरभाष पर पूर्वसहमति भी ली गयी थी।

अतः साथ प्रेषित गृह विभाग के शासनादेश संख्या–862/2021–सीएक्स–3, दिनांक 16.05.2021 का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें एवं अपने समस्त VLEs का उचित मार्गदर्शन करते रहें।

भवदीय

संलग्नक– शासनादेश संख्या–862/2021–सीएक्स–3,
दिनांक 16.05.2021

18/05/2021

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
राज्य समन्वयक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, सी.ई.जी./अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सी.ई.जी./अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी (डी.ई.जी.एस.)/जिलाधिकारीगण, समस्त जनपद, उ0प्र0 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
राज्य समन्वयक